राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी महेन्द्र स्वयं उपस्थित।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप में निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जे०एम०एफ०सी० गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सृम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 15.11.16 को दिन में 03:00 बजे स्वतः उप0 रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 21.12.16 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

Judicial Magistrate First Class
Gohad distribution

Gohad distribu

reach gill to the cture vate of galact of Angle

The state of the s

पुनश्चः

जभयपक्ष पूर्ववत।

मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320

द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र

अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया।

फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव एव अभियुक्त की पहचान उसके
अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323/34, 506 भाग—2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग—2 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

श्रिमामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt Bhind (M.P.)